संख्या-07/2020(885/20)3/3/35-आ0-2/2019-20 टी0सी0

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
आजमगढ./एटा/
फतेहपुर/सहारनपुर ।

राज्य योजना आयोग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 अप्रैल,2020

(नियोजन विभाग)

विषय: प्रदेश के चार जनपदों में क्षेत्रीय विकास में सामाजिक निवेश कार्यक्रम (सियाड) योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्तों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में धनराशि का आबंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में आय-व्ययक के अन्तर्गत कार्यालय आदेश सं0-06/2020(884/2020)/3/3/35-आ-2/2019-20 दिनांक-17-04-2020 द्वारा रू- 40.70 लाख (रू चालिस लाख सत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट (क) में उल्लिखित मदवार/जनदवार फॉट के अनुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि निम्ननिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी ।

1- वेतन, भत्ते तथा कार्यालय व्यय से संबंधित व्ययों की वित्तीय स्वीकृतियां प्रशासकीय विभागों द्वारा स्वयं जारी की जायेगी।

2- समस्त प्रशासकीय विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल बजट प्राविधान के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां न जारी की जाय ।

3- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आंवटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय । ऐसे मामलों में विभागध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबंधन (कैश मैनेजमेंन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 में दिये गये निर्देशो/शर्तो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा ।

7- उपर्युक्त आवंटित धनराशि का व्यय कर्मचारियों के वेतन मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता आदि पर शासकीय कर्मचारियों की भॉति संबंधित कोषागार से वेतन देयक के आधार पर आहरण किया जायेगा तथा प्रत्येक माह में कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय विवरण डी0डी0ओ0 रिकन्सीलेशनशीट (टेजरीशीट) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक शासन को प्रत्येक दशा में नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इन आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

8- संलग्न परिशिष्ट 'क' में अंकित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2021 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्ष "-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-03-राज्य योजना आयोग के अर्न्तगत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त

आर0एन0एस0 यादव

विशेष सचिव ।

संख्या-07/2020(885/20)3/3/35-आ0-2/2019-20, टी0सी0 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0 प्र0 प्रयागराज।

2 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।

3 महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।।

4 वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड प्रयागराज।

5 मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ, एटा, फतेहपुर, सहारनपुर को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च 2020 के संबंध में ।

6 अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।

7 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

8 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9 आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग ।

10 नियोजन अनुभाग-1

11 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ऋषिकेश दुबे

संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट- "क"

शासनादेश संख्या-03/2020(885/20)3/3/35-आ0-2/2019-20, दिनांक 17 अप्रैल, 2020 का

संलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में आबंटित धनराशि का विवरण लेखाशीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-03-राज्य योजना आयोग

(लाख रूपये में)

मद सं0	मानद मदें	आजमगढ	एटा	फतेहपुर	सहारनपुर	योग
01	02	03	04	05	06	07
01	वेतन	11.50	8.50	5.50	8.00	33.50
03	मॅहगाई भत्ता	1.65	1.30	0.90	1.20	5.05
06	अन्य भत्ते	0.02	0.02	0.01	0.01	0.06
55	मकान किया भत्ता	0.45	0.45	0.25	0.75	1.90
56	नगर प्रतिकर भत्ता	0.05	0.04	0.03	0.07	0.19
	कुल योग	13.67	10.31	6.69	10.03	40.70

(रूपये चालिस लाख सत्तर हजार मात्र)

ऋषिकेश दूबे

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।